रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-23112020-223249
CG-DL-W-23112020-223249

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 36] नई दिल्ली, नवम्बर 15—नवम्बर 21, 2020, शनिवार / कार्तिक 24 —कार्तिक 30, 1942
No. 36] NEW DELHI, NOVEMBER 15—NOVEMBER 21, 2020, SATURDAY/KARTIKA 24— KARTIKA 30, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 167.—राष्ट्रपति, शत्रु सम्पति अधिनियम, 1968 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सौरव रे (आई डी ई एस -1994) को तत्काल प्रभाव से भारत का शत्रु सम्पति अभिरक्षक नियुक्त करते हैं । श्री सौरव रे शत्रु सम्पति अधिनियम, 1968 और उसके तहत बने नियमों और विनियमों के अंतर्गत अभिरक्षक के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। वह अभिरक्षक (संयुक्त सचिव) के पद के लागू सामान्य वेतन और भत्ते आहरित करेंगे।

[फा.सं. 37/71/2014 – ई पी]

राजीव कुमार निगम, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 16th November, 2020

G.S.R. 167.—In exercise of the powers conferred under section 3 of the Enemy Property Act, 1968, the President is pleased to appoint Shri Saurav Ray (IDES-1994) as Custodian of Enemy Property for India, with immediate effect. Shri Saurav Ray will be discharging the duties attached to the post of Custodian as derived from the Enemy Property Act, 1968 and the rules and regulations framed thereunder. He will be drawing the usual pay and allowances applicable to the post of Custodian (Joint Secretary Level).

[F.No. 37/71/2014-EP]

RAJIV KUMAR NIGAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 नवम्बर , 2020

सा.का.नि. 168.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में पशु चिकित्सक ड्रेसर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, (पशु चिकित्सक ड्रेसर), भर्ती नियम, 2020 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका पे मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, इत्यादि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पशु चिकित्सक ड्रेसर	01*(2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-3 (रु. 21700-69100/)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्तिः केंद्रीय या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है, या ; (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (19900-63200/-रु.) के स्तर 2 में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हों:- **आवश्यकः** (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास या समतुल्य। (ii) किसी सरकारी पशु चिकित्सा अस्पताल या प्राणी-उद्यान में पशु चिकित्सा ड्रेसर के रूप में पूर्व का अनुभव। (iii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पशु चिकित्सा नर्सिंग का कोर्स किया हो या समतुल्य। **वांछनीयः** पशु चिकित्सा फार्मेसी में डिप्लोमा। **टिप्पण 1 -** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 -** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

[फा.सं.-23011/77/2013-पीटी]

नरेन्द्र कुमार साहु, अवर सचिव

New Delhi, the 16th November, 2020

G.S.R. 168 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Veterinary Dresser in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :—

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Central Academy for Police Training Bhopal (Veterinary Dresser), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—**The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualifications.—**No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Veterinary Dresser.	01* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 3 (Rs. 21700-69100/-)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption level from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officer of the Central or State Government. (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) three years' regular service in the level 2 (Rs. 19900-63200/-) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) possessing qualifications Matriculation. **Essential:** (i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board; (ii) Previous experience as Veterinary Dresser in a Government Veterinary Hospital or Zoo; or (iii) Certificate in veterinary nursing assistant course from recognized Institute; or equivalent. **Desirable:** (i) Diploma in veterinary pharmacy. **Note 1**.- Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Not applicable.

[F.N. 23011/77/2013-PT]

NARENDRA KUMAR SAHOO, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM